न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज०)

पीठासीन अधिकारी	**–**	**श्री अंकित सिंघल, RJS**
दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या	**–**	**531/2025**
सीआईएस संख्या	**–**	**531/2025**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	**–**	**39/2025 थाना हथुनिया**

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

निर्मल कुमार पिता बाबुलाल, तत्समय उम्र 34 साल निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित–

01– श्री अभियोजन अधिकारी– राज्य की ओर से।

02– विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष चतुर्वेदी– अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक – 23.03.2026**

01– पुलिस थाना हथुनिया के द्वारा अभियुक्त निर्मल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। इस निर्णय द्वारा हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 31.03.2025 को प्रार्थी राजवीर सिंह ने उपस्थित थाना हो एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मय जाप्ता हैड कानि सुरेश कुमार न 34, कानि संजय कुमार न 642 मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बोक्स लैपटोप प्रिंटर यूपीएस हमरा ले थाने से 06.20 पीएम पर रवाना गस्त करता हुआ मौखमपुरा, देवद होता हुआ वापिस मोखमपुरा पहुंचा कि जरिये मुखबीर सुचना मिली की महाराणा प्रताप बटालियन के पिछे प्रतापपुरा जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति पेंट व शर्ट पहन रखा है जो अपने हाथ मे धारदार नंगी तलवार लिये घुम रहा है तथा आमजन में भय पैदा कर रहा है तथा आने जाने वाले राहगीर को डरा धमका रहा है। जिस पर मुखबीर की सुचना विश्वसनीय होने से जाप्ता को मुखबीर की सुचना से अवगत करा वह मय जाप्ते के रवाना हो समय 06.44 पीएम पर प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में नंगी धारदार तलवार हवा मे

लहराते हुवे आता नजर आया जो जाप्ता पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको उसने मय जाप्ता ने घेरा देकर पकडा। मौके पर कोई स्वतन्त्र मौतबिर बनने को तैयार नहीं होने से जाप्ते में से हैड कानि. सुरेश कुमार न 34, व कानि संजय न 642 को बतौर मौतबिर मामूर कर उसके द्वारा ई साक्ष्य एप पर विडियोग्राफी शुरू की जाकर उक्त व्यक्ति का नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम निर्मल कुमार पिता बाबुलाल जी पाटीदार उम्र 34 वर्ष निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ का होना बताया। जिससे अपने हाथ में धारदार तलवार को अपने कब्जे मे रखने बाबत कोई वैध अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो नहीं होना बताया जिस पर उक्त तलवार का नाप किया तो उसके हत्थे (मुठ) की लम्बाई 6 सेमी एवं फल की लम्बाई 24 सेमी व कुल 30 सेमी होना पायी गई। तलवार धारदार हो पुरानी इस्तेमाली मटमेली बरंग काले कलर है। निर्मल पाटीदार द्वारा उक्त धारदार नंगी तलवार लेकर घुमना अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करने से मौके से धारदार तलवार को जरिए फर्द जब्त किया जाकर सीलचिट कर मार्क ए अंकित किया गया तथा अभियुक्त निर्मल कुमार पिता बाबुलाल जी पाटीदार उम्र 34 वर्ष निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ का उक्त कृत्य अजमानतीय होकर गिरफतारी के पर्याप्त आधार होने से मौके पर उपस्थित मौतबिर के समक्ष समय 06.54 पीएम पर मौके से जरिए फर्द गिरफतार किया गया। बाद कार्यवाही के वह मय जाप्ता मय अभियुक्त निर्मल पाटीदार व जप्त शुदा तलवार के मौक से रवाना हो थाने पर आये व कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना हथुनिया द्वारा प्र०सू०रि०सं० 39/2025 अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या उक्त अपराध का मामला बनना पाये जाने पर उक्तानुसार धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे आरोप पत्र इत्यादि की नकलें दिलाई गई। बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त निर्मल को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही ।

05– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान का विवरणः–

क्रम सं.	**गवाह नम्बर**	**गवाह का नाम**	**किस्म साक्ष्य**
1	पी.ड. 1	निर्मल कुमार	मालखाना ईंचार्ज
2	पी.ड. 2	सुरेश कुमार	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, व फर्द निरीक्षण घटनास्थल का साक्षी
3	पी.ड. 3	संजय कुमार	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, व फर्द निरीक्षण

			घटनास्थल का साक्षी
4	पी.ड. 4	रामचंद्र	अनुसंधान अधिकारी
5	पी.ड. 5	राजवीर	एफआईआरकर्ता, जब्ती अधिकारी व मौका कार्यवाही का साक्षी

06– दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजः–

क्रम सं.	**प्रदर्श नम्बर**	**प्रदर्शित दस्तावेजो का विवरण**
1	प्रदर्श पी० 1 व 1A	असल मालखाना रजिस्टर व मालखाना रजिस्टर की प्रति
2	प्रदर्श पी० 2	फर्द जब्ती
3	प्रदर्श पी० 3	फर्द गिरफतारी
4	प्रदर्श पी० 4	फर्द नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी० 5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी० 6	चाक एफ.आई.आर
7	प्रदर्श पी० 7	नकल रपट रोजनामचा
8	प्रदर्श पी० 8 व 8A	ई साक्ष्य का प्रमाण पत्र

07– अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 351 BNSS लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा झूठे कथन करना और स्वयं को निर्दोष होना बताकर प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

08– बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान निवेदन किया कि यह प्रकरण पुलिस ने झूठा अभियुक्त के विरूद्व दर्ज करवाया गया है। जिस स्थान से जब्ती करना बताया है वह सार्वजनिक स्थान है किन्तु इसके पश्चात भी कोई स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाया गया है एवं किसी स्वतंत्र मौतबीर के अभाव में केवल पुलिस कर्मियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में गवाहों की साक्ष्यों में भारी विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

09– उभय पक्षकारों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नांकित हैः–

(1) क्या अभियुक्त निर्मल के द्वारा दिनांक 31.03.2025 को समय शाम करीब 06.44 पी.एम. पर या इसके लगभग मौजा प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर अपने सचेतन कब्जे में एक धारधार तलवार जिसके हत्थे (मुठ) की लम्बाई 6 सेमी एवं फल की लम्बाई 24 सेमी व कुल 30 सेमी थी, जो राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत एक प्रतिबंधित हथियार है, को बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के रख कर परिवहन किया गया ?

(2) यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो अभियुक्त के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा ?

10– उपरोक्त बिन्दुओ को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में कुल 05 गवाहान परीक्षित करवाये गये है। हस्तगत प्रकरण परिवादी राजवीर सिंह हेड कानि. 166 के द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 पर संस्थित हुआ है, जिस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उसमें यह तथ्य वर्णित है कि दिनांक 31.03.2025 को प्रार्थी राजवीर सिंह मय जाप्ता हैड मय कानि सुरेश कुमार न 34, कानि संजय कुमार न 642 मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बोक्स थाने से 06.20 पीएम पर रवाना गस्त करता हुआ मौखमपुरा, देवद होता हुआ वापिस मोखमपुरा पहुंचा कि जरिये मुखबीर सुचना मिली की महाराणा प्रताप बटालियन के पिछे प्रतापपुरा जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ मे धारदार नंगी तलवार लिये घुम रहा है तथा आमजन में भय पैदा कर राहगीरों को डरा धमका रहा है। जिस पर मुखबीर की सुचना विश्वसनीय होने से जाप्ता को मुखबीर की सुचना से अवगत करा वह मय जाप्ते के रवाना हो समय 06.44 पीएम पर प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति हाथ में नंगी धारदार तलवार हवा मे लहराते हुवे आता नजर आया जो जाप्ता पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको उसने मय जाप्ता ने घेरा देकर पकडा। मौके पर कोई स्वतन्त्र मौतबिर बनने को तैयार नहीं होने से जाप्ते में से हैड कानि. सुरेश कुमार न 34, व कानि संजय न 642 को बतौर मौतबिर मामूर कर उक्त व्यक्ति का नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम निर्मल कुमार पिता बाबुलाल जी पाटीदार उम्र 34 वर्ष निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ का होना बताया। जिससे अपने हाथ मे धारदार तलवार को अपने कब्जे मे रखने बाबत कोई वैध अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो नहीं होना बताया जिस पर उक्त तलवार का नाप किया तो उसके हत्थे (मुठ) की लम्बाई 6 सेमी एवं फल की लम्बाई 24 सेमी व कुल 30 सेमी होना पायी गई। निर्मल पाटीदार द्वारा उक्त धारदार नंगी तलवार लेकर घुमना अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करने से मौके से धारदार तलवार को जरिए फर्द जब्त किया जाकर सीलचिट कर मार्क ए अंकित किया गया तथा अभियुक्त निर्मल कुमार पिता बाबुलाल जी पाटीदार उम्र 34 वर्ष निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ का उक्त कृत्य अजमानतीय होकर गिरफतारी के पर्याप्त आधार होने से मौके पर उपस्थित मौतबिर के समक्ष जरिए फर्द गिरफतार किया गया। बाद कार्यवाही के वह मय जाप्ता मय अभियुक्त निर्मल पाटीदार व जप्त शुदा तलवार के मौक से रवाना हो थाने पर आये व कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की।

11– उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु अभियोजन की ओर से **परिवादी पी.ड. 05 राजवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 31.03.2025 को पुलिस थाना हथुनिया में हैड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब के निर्देश से वह व हैड कानि सुरेश, कानि संजय कुमार, मय अनुसंधान सामग्री थाने से करीब 06.20 पीएम पर रवाना हुए। हल्का गस्त करते हुए मोखमपुरा पहुँचे। जहाँ मुखबीर के द्वारा उसे सुचना मिली की प्रतापपुरा जाने वाले रोड जो महाराणा प्रताप बटालियन के पिछे स्थित है। एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगी धारदार तलवार लेकर घुम रहा है एवं आमजन को डरा धमका रहा है। जिस पर उसने उक्त सुचना से सुरेश व संजय को अवगत कराया तथा वहाँ वे करिब 06.45 पीएम पर पहुँचे जहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर लहराता हुआ नजर आया। जो उन्हें बावर्दी देख कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेरा डाल कर पकडा। स्वतंत्र गवाह नही मिलने से सुरेश व संजय को गवाह मामुर कर नियमानुसार कार्यवाही कर उस व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम निर्मल पिता बाबुलाल पाटिदार निवासी कल्याणपुरा का होना बताया। उससे तलवार रखने बाबत् कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र के बारे में पुछा तो नही होना बताया। तलवार का नाप किया तो मुठ की लम्बाई 06 सेमी, फल की लम्बाई 24 सेमी थी। कुल लम्बाई 30 सेमी पाई गई। तलवार धारदार थी। अभियुक्त निर्मल का उक्त कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दण्डनीय अपराध होने से जरिये फर्द जप्ती तलवार को जप्त किया गया एवं चिटचस्पा कर मार्क ए अंकित किया तथा गिरफ्तारी के नियमो की पालना कर मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी गवाह सुरेश व सी से डी अभियुक्त, ई से एफ गवाह संजय व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी सुरेश व सी से डी अभियुक्त के, ई से एफ संजय व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बाद उक्त कार्यवाही मय जप्तशुदा आर्टिकल व गिरफ्तार मुलजिम के थाने पर आये। अनुसंधान के दौरान उसकी निशादेही से नक्शा मौका बनाया गया था। जो फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। थाने पहुँच कर उसके द्वारा कार्यवाही के लिये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है। रवानगी रपट प्रदर्श पी 07 है। ई साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाहान ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि मौके पर लोग नही थे लेकिन अभियुक्त तलवार लेकर आ रहा था। यह बात सही है कि घटना स्थल तीराहा है जहाँ लोगो की आवा जावी रहती है। यह बात सही है कि घटना स्थल की दुरी पर महाराणा प्रताप बटालियन के क्वाटर बने हुए है। यह उसकी जानकारी में नही है कि अभियुक्त किसी को डरा धमका रहा हो उसकी सुचना थाने पर आई हो। मौके पर स्वतंत्र गवाह नही होने से सभी फर्दो पर पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर है। यह सही है कि अभियुक्त की जामा तलाशी में तलवार के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद नही हुई थी। यह कहना गलत है कि मुलजिम से कोई तलवार बरामद नही हुई हो, समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर की हो और टारगेट पुरा करने के लिये मुलजिम को झुठा फसाया हो। यह बात

सही है कि घटना स्थल के पास महाराणा प्रताप बटालियन है वहाँ काफी पुलिस निवास करती है। यह बात सही है कि किसी पुलिस कर्मी द्वारा अभियुक्त द्वारा तलवार लेकर घुमने व डराने धमकाने की सुचना नही दी थी।

12− जाप्ते के साक्षी गवाह **पी.ड−2 सुरेश कुमार व पी.ड−3 संजय कुमार** है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि वे दिनांक 31.03.2025 को पुलिस थाना हथुनिया में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ साहब के निर्देश से वे व हैड कानि राजविर सिंह, मय अनुसंधान सामग्री थाने से करीब 06.20 पीएम पर रवाना हुए। हल्का गस्त करते हुए मोखमपुरा पहुँचे। जहाँ मुखबीर के द्वारा राजवीरसिंह को सुचना मिली की प्रतापपुरा जाने वाले रोड जो महाराणा प्रताप बटालियन के पिछे स्थित है। एक व्यक्ति अपने हाथ में नंगी धारदार तलवार लेकर घुम रहा है एवं आमजन को डराधमका रहा है। जिस पर राजवीर सिंह ने उक्त सुचना से उनको अवगत कराया तथा वहाँ वे करिब 06.45 पीएम पर पहुँचे जहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर लहराता हुआ नजर आया। जो उन्हें बावर्दी देख कर भागने की कोशिश करने लगा। जिसे घेरा डाल कर पकडा। स्वतंत्र गवाह नही मिलने से उन्हें गवाह मामुर कर नियमानुसार कार्यवाही कर उस व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम निर्मल पिता बाबुलाल पाटिदार निवासी कल्याणपुरा का होना बताया। उससे तलवार रखने बाबत् कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र के बारे में पुछा तो नही होना बताया। तलवार का नाप किया तो मुठ की लम्बाई 06 सेमी, फल की लम्बाई 24 सेमी थी। कुल लम्बाई 30 सेमी पाई गई। तलवार धारदार थी। निर्मल का उक्त कृत्य धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दण्डनीय अपराध होने से जरिये फर्द जप्ती तलवार को जप्त किया गया एवं चिटचस्पा कर मार्क ए अंकित किया तथा गिरफ्तारी के नियमो की पालना कर मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 02 है, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 है, जिन पर उनके हस्ताक्षर है। बाद उक्त कार्यवाही मय जप्तशुदा आर्टिकल व गिरफ्तार मुलजिम के थाने पर आये। अनुसंधान के दौरान उनके समक्ष नक्शा मौका बनाया गया था। जो फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 है।

गवाहान ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि मौके पर लोग नही थे लेकिन अभियुक्त तलवार लेकर आ रहा था। यह बात सही है कि घटना स्थल तीराहा है जहाँ लोगो की आवा जावी रहती है। यह बात सही है कि घटना स्थल की दुरी पर ही महाराणा प्रताप बटालियन के क्वार्टर बने हुए है। यह उनकी जानकारी में नही है कि अभियुक्त किसी को डरा धमका रहा हो उसकी सुचना थाने पर आई हो। मौके पर स्वतंत्र गवाह नही होने से सभी फर्दो पर पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि मुलजिम से कोई तलवार बरामद नही हुई हो, समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर की हो और टारगेट पुरा करने के लिये मुलजिम को झुठा फसाया हो।

13− गवाह **पी.ड−01 निर्मल कुमार मालखाना ईंचार्ज** है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 31.03.2025 को थाना हथुनिया में हैड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन हैड कानि राजवीर सिंह द्वारा अभियुक्त निर्मल कुमार पाटीदार के कब्जे से एक धारदार तलवार जप्त कर लाये थे। जिसे मालखाना रजिस्टर में

दर्ज कर मालखाना में सुरक्षित रखी। मुल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 01 है, तथा मालखाना नकल प्रदर्श पी 01 ए है जिसपर उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि यह बात सही है कि पत्रावली पर मालखाना की फोटो प्रति न होकर हाथ से लिखी हुई नकल है। यह बात सही है कि उसके पास जो आर्टिकल आया था वो सिलचिट था।

14- गवाह **पी.ड-04 रामचंद्र अनुसंधान अधिकारी** है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 31.03.2025 को थाना हथुनिया पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन थाने के प्रकरण सं० 39/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। लिखित रिपोर्ट प्रदार्श पी 05 पर ए से बी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन होकर सी से डी एसएचओ साहब के हस्ताक्षर है। जिसकी चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 06 है। रिपोर्ट के साथ फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी 02 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 प्राप्त की गई जो शामील फाईल की गई। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी राजवीर, गवाह सुरेश, संजय, निर्मल के उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गये। प्रार्थी की निशादेही से घटना स्थल का निरिक्षण किया गया। जो घटना स्थल प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के हस्ताक्षर है ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। रोजनाचा रवानगी रपट प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी एसएचओ के हस्ताक्षर है। प्रमाण पत्र ई साक्ष्य का प्रदर्श पी 08 है जो शामील पत्रावली है। मालखाना की प्रमाणित प्रति शामील पत्रावली है। संपुर्ण अनुसंधान से अभियुक्त निर्मल के विरूद्ध अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली श्रीमान एसएचओ साहब को सुपुर्द की जिन्होंने चार्जशिट कता कर चालान न्यायालय में पेश किया।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि घटना स्थल तीराहा है जहाँ लोगो की आवा जावी रहती है। यह बात सही है कि घटना स्थल की दुरी पर ही महाराण प्रताप बटालियन के क्वार्टर बने हुए है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त किसी को डरा धमका रहा हो उसकी सुचना थाने पर आई हो। यह सही है की मौके पर स्वतंत्र गवाह नही मिला था। यह सही है की सभी फर्दों पर पुलिस कर्मी के हस्ता० है। यह कहना गलत है कि मुलजिम से कोई तलवार बरामद नही हुई हो, समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर की हो और टारगेट पुरा करने के लिये मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

15- इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता को प्रमाणित करने के संबंध में जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी है उसका समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण करे तो प्रकरण में परीक्षित जब्ती व जाब्ते के साक्षीगण पी.ड.-05 राजवीर सिंह, पी.ड-02 सुरेश कुमार व पी.ड.-03 संजय कुमार ने उनकी सशपथ साक्ष्य में दिनांक 31.03.2025 को दौराने गश्त सूचना मिलने पर प्रतापपुरा रोड पहुचे जहां पर अभियुक्त के कब्जे से एक धारधार तलवार जिसके हत्थे (मुठ) की लम्बाई 6 सेमी एवं फल की लम्बाई 24 सेमी व कुल 30 सेमी थी, जो राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत एक प्रतिबंधित हथियार है, बरामद की जिसका कोई खंडन अभियुक्त द्वारा नहीं किया जा

सका है। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य ठोस व अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है।

16– प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है की अभियोजन साक्ष्य में समस्त साक्षी पुलिसकर्मी है, इस कारण अभियोजन कहानी संदेह के घेरे में आती है। इसके साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि बरामदगी स्थल एक सार्वजनिक स्थल है, किन्तु फिर भी प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये। अत: प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने से एवं समस्त साक्षीगण पुलिसकर्मी होने से अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिनमे ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है की:–

1. **AIR 2007 SCW 5569**
   Girija Prasad (dead) by LRs v/s State of Madhya Pradesh

2. **(2015) 4 MLJ (Cri) 46 SC**
   Baldev singh v/s State of Haryana

"There is no legal preposition that evidence of police officials unless supported by independent evidence is unworthy of acceptance. Evidence of police witness cannot be discarded merely on the ground that they belong to police force interested in investigation and their desire to see the success of the case. Prudence however requires that the evidence of police officials who are interested in the outcome of result of case needs to be carefully scrutinized & independently appreciated. Mere fact that they are police officials does not by itself give rise to any doubt about their credit worthiness."

17– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय का विनम्र मत यह है की अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिया गया तर्क की प्रकरण में समस्त साक्षीगण पुलिस कर्मी होने से उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, का कोई भी विपरीत प्रभाव अथवा दुष्प्रभाव अभियोजन कहानी पर नहीं पड़ता है क्यूंकि न्यायालय के समक्ष लेशमात्र भी ये तथ्य उत्पन्न नहीं हुआ है कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस वालो के द्वारा किसी द्वेषता पूर्ण भाव से कार्यवाही की गयी हो। स्वयं अभियुक्त द्वारा भी न्यायालय के समक्ष ये स्पष्ट नहीं किया गया है की किसी पुलिस कर्मी अथवा पुलिस विभाग से रंजिश होने के कारण उसके विरुद्ध यह झूठा प्रकरण पेश किया गया हो।

18– इस प्रकार पत्रावली पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है,

उसके संकलित अध्ययन से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलकर आता है की दिनांक 31.03.2025 को समय शाम करीब 06.44 पी.एम. पर या इसके लगभग मौजा प्रतापपुरा जाने वाले रास्ते पर अभियुक्त निर्मल के सचेतन कब्जे में एक धारधार तलवार जिसके हत्थे (मुठ) की लम्बाई 6 सेमी एवं फल की लम्बाई 24 सेमी व कुल 30 सेमी थी, जो राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत एक प्रतिबंधित हथियार है, को बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के रख कर परिवहन किया गया तथा अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी जो अभियुक्त के कब्जे से एक धारधार तलवार को बरामद करने के तथ्य पर संदेह उत्पन्न करती हो।

19– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता सन्देह से परे साबित करना होता है। इस सम्बन्ध में प्रकरण में जो साक्ष्य आयी है वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करती है। अतः आरोपित अपराध में अभियुक्त के लिप्तता संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष न्यायालय का विश्वास आकृष्ट करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त **निर्मल** को अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

20– परिणामस्वरूप **निर्मल कुमार पिता बाबुलाल**, तत्समय उम्र 34 साल निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ (राज.) को अंतर्गत **धारा 4/25 आयुध अधिनियम** के अपराध में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(अंकित सिंघल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़

सजा के प्रश्न पर–

21– सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है, कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, जिस पर अपने सम्पूर्ण परिवार का दारोमदार है। विगत करीब 02 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

22– अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का विरोध किया तथा अभियुक्त को विधि अनुसार उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण वर्ष 2023 से लम्बित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व आरोपित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को तत्काल दण्ड से दण्डित करने की अपेक्षा परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

24- अतः अभियुक्त **निर्मल कुमार पिता बाबुलाल**, तत्समय उम्र 34 साल निवासी कल्याणपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़ (राज.) को अंतर्गत **धारा 4/25 आयुध अधिनियम** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किए जाने पर धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचरण का बंध पत्र राशि 10,000/- रूपये तथा इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे, कि उक्त अवधि में वह सदाचारी रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिये उपस्थित रहेगा। साथ ही **धारा 05 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम** के तहत **अभियुक्त 500/- रूपये अभियोजन व्यय** स्वरूप जमा कराए, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

25- अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त रहे ।

26- प्रकरण में जब्तशुदा धारदार तलवार बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निस्तारण किया जाये।

27- प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अभियुक्त की अपीलीय न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् अभियुक्त को धारा 481 BNSS के तहत् राशि 10,000/- रूपये का स्वयं का मुचलका मुचलके पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते हैं। अपील नहीं होने की स्थिति में उक्त जमानत-मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जावें।

(अंकित सिंघल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़

28- निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

RAJESH SUTHAR
Digitally signed by RAJESH SUTHAR
Date: 2026.03.23 11:33:57 +0000

(अंकित सिंघल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़